

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / कोटा / सामान्य-04891 / 2024 /

दिनांक:-

-: आदेश :-

रोजी शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, अधीक्षक, सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय कोटा को दिनांक 03.01.2022 से 23.02.2022 तक (52 दिवस) आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में रही है, जो राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत कर्तव्य पर माने जाने तथा उक्त नियमों के नियम 25ए के अन्तर्गत आदेशों की प्रतीक्षा में रहने की अवधि का वेतन आहरित करने की नियमानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / कोटा / सामान्य-04891 / 2024 / 537 दिनांक:- 28/03/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, कोटा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
6. अधीक्षक, सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय कोटा को भेजकर लेख है कि कार्मिका के शेष अवकाश राजस्थान सेवा नियम खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-9 के बिन्दु संख्या 22 के अनुसार 120 दिवस तक की अवधि के समस्त अवकाश नियमानुसार अपने स्तर से स्वीकृत करवाये जाने का श्रम करावें।
7. रोजी शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करे।
9. रक्षित / आदेश प्रत्रावली।

RajKaj Ref
6352014

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर
Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :27-03-2024 06:57:53